भारत सरकार

आयुष मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 2208

10 दिसम्बर, 2021 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

प्राकृतिक चिकित्सा संस्थान

2208. श्री विनायक भाऊराव राऊत:

सुश्री देबाश्री चौधरी:

क्या आयुष मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) देश में प्राकृतिक चिकित्सा संस्थानों की राज्य-वार संख्या कितनी है और प्राकृतिक चिकित्सा के तहत इलाज योग्य बीमारियों का ब्यौरा क्या है;

(ख) देश में प्राकृतिक चिकित्सा को बढ़ावा देने के लिए पश्चिम बंगाल सहित संस्थानों की संख्या कितनी है और पश्चिम बंगाल में इन केंद्रों में इलाज किए गए रोगियों की संख्या कितनी है;

(ग) महाराष्ट्र में अखिल भारतीय आयुर्वेद विज्ञान संस्थान और प्राकृतिक चिकित्सा संस्थान कब तक खोले जाने की संभावना है;

(घ) क्या सरकार का राष्ट्रीय आयुष मिशन के तहत सरकारी आयुष महाविद्यालयों के उन्नयन के लिए कोई योजना लाने का विचार है; और

(ड.) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

आयुष मंत्री (श्री सर्बानंद सोनोवाल)

(क) और (ख): आयुष मंत्रालय के वार्षिक सांख्यिकीय प्रकाशन "आयुष इन इंडिया-2019" के अनुसार, देश में 14 प्राकृतिक चिकित्सा अस्पताल और 93 प्राकृतिक चिकित्सा औषधालय हैं।

राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा संस्थान (एनआईएन), पुणे आयुष मंत्रालय के अधीन एक स्वायत्त निकाय है और प्राकृतिक चिकित्सा के प्रसार और विकास में लगा हुआ है। एनआईएन अपने ओपीडी के माध्यम से आम जनता को प्राकृतिक चिकित्सा उपचार प्रदान करता है।

साथ ही, केंद्रीय योग व प्राकृतिक चिकित्सा अनुसंधान संस्थान (सीआरआईवाईएन), नई दिल्ली द्वारा भी प्राकृतिक चिकित्सा उपचार सुविधाएं प्रदान की जाती हैं, जो केंद्रीय योग व प्राकृतिक चिकित्सा अनुसंधान परिषद (सीसीआरवाईएन), नई दिल्ली के अधीन योग व प्राकृतिक चिकित्सा के क्षेत्र में अनुसंधान के लिए एक शीर्ष निकाय है।

(ग): वर्तमान में मंत्रालय के पास इस प्रकार का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(घ) और (ड.): राष्ट्रीय आयुष मिशन (एनएएम) की केंद्रीय प्रायोजित स्कीम के तहत, आयुष स्नातकपूर्व संस्थानों तथा स्नातकोत्तर संस्थानों के ढांचागत विकास हेतु प्रावधान किया गया है।

एनएएम स्कीम के तहत, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों को उनसे संबंधित राज्य वार्षिक कार्य योजनाओं (एसएएपी) में प्रस्तुत प्रस्तावों और एनएएम दिशानिर्देशों के अनुसार वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारें एनएएम दिशानिर्देशों के अनुसार अपने राज्य वार्षिक कार्य योजना के माध्यम से प्रस्ताव प्रस्तुत करके पात्र वित्तीय सहायता का लाभ ले सकती हैं।

*****